

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि।

एवं

राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तपोषण हेतु आवेदन पत्र।

(आवेदन पत्र वाचित अभिलेखों के साथ दो प्रतियों में भरा जायेगा)

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. स्थाई पता / ग्राम / मो0.....पो0.....
4. जातिउपजाति.....
(क्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र संलग्न करे)
5. मासिक / वार्षिक आयतहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र संलग्न करे)
6. स्थाई निवास का प्रमाणपत्र.....(राशनकार्ड मतदाता सूची परिवार रजिस्टर पानी विजली का विल आदि संलग्न करे)
7. जन्म तिथि(ग्राम पंचायत / नगरपालिका या विद्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म आयु का प्रमाणपत्र 18 से 55 के बीच)
8. शैक्षणिक तथा पृष्ठभूमि/ कार्यानुभव आदि कोई हो
9. प्रतावित योजना का नामलागतस्थान/ कार्यस्थल.....
.....(परियोजना का रिपोर्ट संलग्न की जाय)
10. वर्तमान गतिविधिया.....
वित्तीय स्थिति (सम्पत्ति विवरण)जमीनमकान...अनुमानित लागत रु0.....
11. जमानतदारों के नाम व पता (सम्पत्ति का विवरण संलग्न करे यदि किसी विभाग संस्था में सेवारत हो तो विभाग का नाम पद व पता स्पष्ट लिखे)
अ.....ब.....
.....
.....
.....
12. क्या पूर्व मे किसी योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता (ऋण अनुदान)प्राप्त किया था हॉ / नही . यदि हॉ तो विवरण दे:-
विवरणविभाग का नामप्राप्त सहायता
वसूली की स्थिति
13. पूर्व मे प्राप्त ऋण के अंश की वसूली की अद्यावधिक स्थिति अथवा इसी उद्योग्य हेतु विकास खण्ड /जनपद /राज्य के किसी वित्तीय संस्थान /विभाग /अन्य श्रोत से ऋण /अनुदान प्राप्त नही किया है न ही बकायेदार हूँ।(रु 10/ के स्टाप पेपर पर नोटरी द्वारा शपक्ष पत्र प्रस्तुत किया जाय)
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य पूर्णत सही एवं वास्तविकता पर आधारित है तथा जो प्रमाणपत्र संलग्न किये जा रहे हैं वह सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रदत्त है यदि कोई तथ्य सत्यता से परे पाया जाता है या छुपाया जाता है उसके लिये मै पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूँगा।

स्थान:-

दिनांक:-

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

(2)

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

लाभार्थी/श्री / श्रीमती/कु.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

निवासी.....का उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक.....को
प्राप्त हुआ। अभ्यार्थी द्वारा दिये गये तथ्यों की जांच कर ली गई है एव संलग्न प्रपत्रों की प्रमाणिकता
की पुष्टि कर ली गई है जो सही पाई गई। निगम के अभिलेखों की पुष्टि के उपरान्त यह प्रमाणित
किया जाता है कि लाभार्थी पात्रता के अन्तर्गत है। अतः प्रस्तुत योजना.....जो आर्थिक
दृष्टि से परिपुष्ट है की लागत रूपया.....ऋण मानते हुए राष्ट्रीय निगम का
ऋण, मार्जिनमनी ऋण, अनुदान एव लाभार्थी
अंशकी स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

बहुउद्देशीय कर्मी/सहायक समाज कल्याण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी
(पदनाम मुहर सहित)

सहायक प्रबन्धक/जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक
(पदनाम मुहर सहित)

(राज्य स्तरीय चयन समिति के प्रयोगार्थ)

जनपद स्तरीय ऋण स्वीकृति समिति के संस्तुति के आधार पर श्री/ श्रीमती /कुमारी

.....पुत्र/पुत्री/पत्नीनिवासी.....

..को राष्ट्रीय.....वित्त एव विकास निगम द्वारा संचालित योजना.....की
लागत रु0मानते हुएमियादी ऋणप्रतिशत ब्यात
की दर पर मार्जिनमनी ऋण.....4 प्रतिशत ब्याज दर पर अनुदान रु0.....एव रु0..

.....

लाभार्थी अंश के रूप मे मानते हुए स्वीकृत किया जाता है।

उप महा प्रबन्धक.
(योजना प्रभारी)

महा प्रबन्धक.

प्रबन्ध निदेशक.

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

चयनित / सर्वेक्षित संस्था वर्ष
एस.सी.पी. १ क्रमांक संख्या बैक प्रेषित की तिथि उक्त प्रार्थना पत्र
दिनांक को प्राप्त हुआ है तथा कार्यालय से उपलब्ध लाभार्थी पंजी / एस.सी.पी.के
पृष्ठ संख्या पर दर्ज कर लिया गया। उक्त आवेदन पत्र स्वीकृत करने की संस्तुति की
जाती है। चयन समिति द्वारा संस्तुत योजना की लागत
बैक ऋण मार्जिन मनी अनुदान स्वीकृत है।

ग्राम विकास अधिकारी / सहायक समाज कल्याण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी / सहायक प्र० / जिला प्र०

(बैक प्रयोग हेतु)

श्री / श्रीमती / कु0निवासी
..... की योजना हेतु शब्दो मे
रु का बैक ऋण प्रतिशत
ब्याज पर दिनांक को स्वीकृत किया जाता है। इस ऋण की अदायगी
मासिक / त्रैमासिक किस्तो मे की जाती है।
स्वीकृत योजना की लागत रु मानते हुए बैक ऋण तथा निगम
द्वारा मार्जिन मनी ऋण रु एव रु शायकीय अनुदान
अवमुक्त की जाये।

बैक शाखा प्रबन्धक के मुहर सहित हस्ताक्षर

दिनांक